



UPI180000322025

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) महमूदाबाद, सीतापुर।

दीवानी वाद संख्या-12/2025

रिंकी वर्मा

बनाम

मनोज कुमार वर्मा आदि।

वाद की प्रकृति

स्थायी निषेधाज्ञा

वाद का मूल्यांकन

1879/-रुपये

अधिवक्ता का नाम

श्री वीरेन्द्र कुमार वर्मा/श्री अखिलेश कुमार मिश्रा

वाद प्रस्तुत किये जाने की तिथि

07.01.2025

यह वाद-पत्र वादिनी द्वारा वास्ते स्थायी निषेधाज्ञा उसके विद्वान अधिवक्ता श्री वीरेन्द्र कुमार वर्मा/श्री अखिलेश कुमार मिश्रा द्वारा प्रस्तुत किया गया। मुन्सरिम आख्यानुसार वाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत है, तदनुसार न्यायशुल्क अदा है। अतः वाद मूलवाद के रूप में दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हो। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना-पत्र-6 ग 2/लिखित उत्तर/विरचन वादबिन्दु दिनांक-13.02.2025 को पेश हो।

(रंजीत कुमार जायसवाल)

सिविल जज (जू०डि०) महमूदाबाद,
सीतापुर।

निस्तारण प्रार्थना-पत्र 6 ग 2

वादिनी द्वारा प्रार्थना-पत्र 6 ग 2 मय शपथ पत्र 7 ग 2 अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत कर वादीय भूमि गाटा संख्या-748 रकबा 0.845 हे० स्थित ग्राम सिहारूखेड़ा, परगना व तहसील महमूदाबाद, जिला सीतापुर में निहित अंश 1/2 भाग को प्रतिवादी नंबर-2 व 3 के अलावा अन्य के हक में (वादिनी व पुत्र, पुत्री को छोड़कर) अंतरित करने से प्रतिवादीगण को मना किये जाने की याचना की गयी है।

वादिनी की ओर से अपने कथनों के समर्थन में दस्तावेजी सूची-8 ग 1 से एक किता खतौनी फसली वर्ष 1428 से 1433 कागज संख्या-9 ग 1 एवं पृथक से एक किता वादीय आधार कार्ड की छायाप्रति कागज संख्या-10 ग 1 दाखिल पत्रावली की गयी है।

वादिनी के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

कार्यालय की आख्यानुसार प्रस्तुत मामले में कैबिएट दाखिल नहीं है।

अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए बिना प्रतिवादीगण को सुने प्रार्थना पत्र 6 ग 2 पर कोई भी आदेश पारित किया जाना न्यायोचित नहीं होगा। प्रतिवादीगण को नोटिस दिनांक-13.02.2025 हेतु जारी हो। वादिनी आवश्यक पैरवी करे। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना-पत्र 6 ग 2/लिखित उत्तर/विरचन वादबिन्दु दिनांक-13.02.2025 को पेश हो।

(रंजीत कुमार जायसवाल)

सिविल जज (जू०डि०) महमूदाबाद,
सीतापुर।

J.O Code-UP3555

vijay/-